न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-43/2020-21

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

घुमेश्वरी देवी बनाम घासिया महतो

07.01.21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –	घुमेश्वरी देवी पति–स्व० घासीराम महतो, ग्राम–बारेडीह, पो०–बारेडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहिणी।
क्रेता का नाम एवं पता –	घासिया महतो पिता–स्व० सबरन महतो, ग्राम–सारमाली, पो०–जानुमपीड़ी, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री विशेश्वर प्रसाद।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–09/09/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता घासिया महतो पिता–स्व० सबरन महतो, ग्राम–सारमाली, पो०–जानुमपीड़ी, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
सरमाली	तमाड़/220	14	512	0.83 ए० मध्ये 0.41½ ए० चौहद्दीः– उ०–घासिया महतो । द०–कांशीनाथ महतो। पू०–सतिया (नाला)। प०–विक्रम महतो।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक–824(ii) दिनांक–31/12/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत जंगल महतो वो राधा महतो वो विन्दा महतो वो आन्दा महतो पेशरान सुधर महतो के नाम से दर्ज है।

(2) खतियानी रैयत/पंजी–II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध सास वहु का है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम श्रीमती सहागी देवी पति–स्व० मोहन महतो है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2010–11 तक वसूली गयी है।

(5) उतराधिकारी के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन दोन एक किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास लगभग रकबा–4.70 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को शादि विवाह हेतु बिक्री कर रही है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही समुदाय कुरमी जाति के है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला अन्तर्गत निवास कर रहे है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता घुमेश्वरी देवी पति–स्व० घासीराम महतो, ग्राम–बारेडीह, पो०–बारेडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहिणी, को क्रेता घासिया महतो पिता–स्व० सबरन महतो, ग्राम–सारमाली, पो०–जानुमपीड़ी, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–09/09/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता घुमेश्वरी देवी पति–स्व० घासीराम महतो, ग्राम–बारेडीह, पो०–बारेडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहिणी, को क्रेता घासिया महतो पिता–स्व० सबरन महतो, ग्राम–सारमाली, पो०–जानुमपीड़ी, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
सरमाली	तमाड़/220	14	512	0.83 ए० मध्ये 0.41½ ए० चौहद्दीः– उ०–घासिया महतो । द०–कांशीनाथ महतो। पू०–सतिया (नाला)। प०–विक्रम महतो।

लेखापित एवं संशोधित।

8/07/01

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।

8/07/01

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।